

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सेवा नियम-56 एवं राज्य सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक: प0 1(6) वित्त/नियम/98 जयपुर दिनांक 24 मई, 2004 के अनुसरण में निम्नांकित प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा (रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान/गृह विज्ञान) को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 04 में अंकित तिथि से राज्य सेवा से सेवारिवृत किया जाता है।

क्रसं	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राजस्थान वि/राजस्थान वि)	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति तिथि
गृह विज्ञान			
सर्वश्री/सूश्री/श्रीमती			
1	लक्ष्मी सनादय, कोटडी-भीलवाड़ा	14.08.1951	31.08.2011
2	बीना ग़ोवर, मटका चौक, श्रीगंगानगर	01.07.1951	30.06.2011
3	अमृता मेहता, बहादुरपुर-अलवर	16.04.1951	30.04.2011
4	शकून्तला देवी मनोचा, डीग-भरतपुर	07.05.1951	31.05.2011
5	कृष्णा शर्मा, म्हारानी-जयपुर	01.07.1951	30.06.2011
6	सरोज बाला शर्मा, भवानी मण्डी-झालावाड	10.11.1951	30.11.2011
7	शहनाज खॉ, चित्तौड़गढ़	01.12.1951	30.11.2011
8	नवरतन बावेल, जगदीश चौक, उदयपुर	20.07.1951	31.07.2011
रसायन विज्ञान			
9	आशा वर्मा, नसीराबाद-अजमेर	01.03.1952	29.02.2012
10	माण्डवी परकम्मा, बारा	09.09.1951	30.09.2011
11	माणकचन्द साहु, चांदगोठी-चूरु	27.02.1952	29.02.2012
12	राजेन्द्र कुमार शर्मा, मा0 आदित्येन्द्र, भरतपुर	01.01.1952	31.12.2011
13	सुशील कुमार शर्मा, भुसावर-भरतपुर	07.09.1951	30.09.2011

जीवविज्ञान			
14	भेंवर लाल सोलंकी, अलाय -नागौर	01.02.1952	31.01.2012
15	राजेन्द्र प्रसाद नेहरा, खेतडीनगर-झुन्झुनु	01.12.1951	30.11.2011
16	धर्मवीर सिंह पहाडी-भरतपुर	05.01.1952	31.01.2012
17	अनिल कुमार सक्सेना, चाकसू-जयपुर	19.10.1951	31.10.2011
18	रणजीत सिंह, लोसल-सीकर	20.10.1951	31.10.2011
19	सुरेशचन्द्र शर्मा, इटावा-कोटा	03.09.1951	30.09.2011
20	हेमा भट्टाचार्य, किसान कन्या, जोधपुर	01.10.1951	30.09.2011

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्राध्यापकों के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत कोई विभागीय जॉच आज की यथास्थिति के अनुसार विचाराधीन नहीं है। इनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक यदि कोई जॉच कार्यवाही प्रस्तावित होती है तो इसकी जानकारी तत्काल इस कार्यालय एवं पेंशन विभाग को भिजवाई जाए, इसके लिए संबंधित अधिकारी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राध्यापकों की नियुक्ति/पदोन्नति अवकाशकालीन रिक्त पद पर या अपने पद के कार्य के अतिरिक्त उच्च पद का कार्य अस्थाई रूप से सम्पादित करने हेतु नहीं थी। अतः राजस्थान सेवा नियम 250 (सी) के अन्तर्गत यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 16 / 3 / 11

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/रजीगृ/15601/सेवानिवृत्ति/2010-11/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, _____
- 2- संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग _____
- 3- उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग _____
- 4- संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
- 5- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 6- संबंधित संस्था प्रधान
- 7- संबंधित प्राध्यापक
- 8- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/ए-बी/प्रभाग ओएसी-सी अनुभाग
- 9- निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर